न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 45/2023

उनवान

1 धर्मपाल पुत्र हरफूल, जाति रैगर निवासी नयाबास तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2 सुवालाल पुत्र भूराराम
3 पप्पूलाल पुत्र टीकूराम
4 रामकिशोर पुत्र बिरदूराम जाति रैगर निवासीगण नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

5 राजपाल पुत्र हरफूल
6 रोहिताश पुत्र हरफूल
7 सुवालाल पुत्र हरफूल
8 मुकेश पुत्र हरिचन्द
9 सुरेन्द्र पुत्र हरिचन्द
10 अंजु पुत्री हरिचन्द्र
जाति रैगर निवासीगण नयाबास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 26.6.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 1014 रकबा 0.90 है0, वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रश्नागत आराजी का उप तहसीलदार अमरसर के आदेश कमांक/सीमा/ 1669 दिनांक 11.4 2018 की पालना में दिनांक 31.5.2019 को खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 31.5.2019 के बाद से पडौसी खातेदारान ने धीरे धीरे पुनः प्रार्थीगण की भूमि दबाना व अनाधिकृत अतिक्रमण प्रारम्भ कर दिया है जिससे आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये । प्रकरण मंहगाई राहत कैम्प जगतपुरा में रखा गया । वकील प्रार्थी उपस्थित आये तथा वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.5.2019 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 31.5.20219 को गिरदावर हल्का राडावास तथा अन्य

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

टवारियों की टीक के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास ; खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से त्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके ारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का राज्य सरकार की मंशा के अनुसार शीघ्र नेस्तारण तथा मंहगाई राहत शिविर में लगाये गये कैम्प को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि कि ख.नं. 1014 रकबा 0.90 है0, वाके ग्राम नयाबास तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 31.5.2019 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2023 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर